9/12/2020 वकील प्रार्थी उप।

पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/12/2020 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

24/12/2020 वकील प्रार्थी उप।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-9 नियम-4 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या– 58/2017
तारीख निर्णय– 24/12/2019

प्रार्थीगण

घीसीदेवी पत्नी मगारामजी, जाति–मेघवाल, निवासी–किशनपुरा, तहसील–रानी जिला–पाली, राजस्थान

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी

1. मृत पेमाजी पुत्र टीकमजी के वारिसान
   1/1 दाकुदेवी पत्नी पेमाजी, उम्र–72 वर्ष
   1/2 नैनाराम पुत्र पेमाजी, उम्र–52 वर्ष
   1/3 सवाराम पुत्र पेमाजी, उम्र–42
   1/4 खीमाराम पुत्र पेमाजी, उम्र–36 वर्ष
   1/5 चमनी पुत्री पेमाजी, उम्र–54 वर्ष
   1/6 माली पुत्री पेमाजी, उर्म–44 वर्ष
   1/7 धन्नी पुत्री पेमाजी, उम्र–40 वर्ष
2. मृत मूलाजी पुत्र टीकमजी के वारिसान
   2/1 चुनीबाई पत्नी मूलाजी, उम्र–46 वर्ष
   2/2 हीराराम पुत्र मूलाजी, उम्र–34 वर्ष
   2/3 गंगा पुत्री मूलाजी, उम्र–44 वर्ष
   2/4 शांति पुत्री मूलाजी, उम्र–31 वर्ष
   2/5 पेपी पुत्री मूलाजी, उम्र–31 वर्ष
3. मृत दलाजी पुत्र टीकम के वारिसान
   3/1 सदनो पत्नी दलाजी, उम्र–60 वर्ष
   3/2 ढलाराम पुत्र दलाजी, उम्र–38 वर्ष
   3/3 लालाराम पुत्र दलाजी, उम्र–38 वर्ष
   3/4 बुद्धाराम पुत्र दलाजी, म्र–30 वर्ष
4. मृत सोबा पुत्र गोगाजी के वारिसान
   4/1 शेषाराम गोदपुत्र जेठाजी, उम्र–33 वर्ष
   4/2 मानकी पत्नी ताराराम[illegible]
   4/3 ओगड़ पुत्र तारा[illegible] वर्ष
   4/4 जगदीश पुत्र ता[illegible]
   4/5 कानाराम पुत्र ताराराममजी, उम्र–2[illegible]
   4/6 मांगी पुत्र ताराराममजी, उम्र–24

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:21 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमशः (2) राजस्व वाद मु0सं0– 58/2017 वादी – धीसीदेवी पत्नी मगारामजी बनाम प्रतिवादीगण – दाकुदेवी व अन्य अन्तर्गत धारा– 88,89,188, 92ए, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी

4/7 सुकी पत्नी जसारामजी, उम्र–57
4/8 हरजी पुत्र जसारामजी, उम्र–36
4/9 धीसाराम पुत्र जसारामजी, उम्र–24
4/10 वदीया पुत्री जसारामजी, उम्र–34
4/11 छोगी पुत्री जसारामजी, उम्र–32
4/12 निरमा पुत्री जसारामजी, उम्र–29
4/13 टीमा पुत्री जसारामजी, उम्र–23

5. मृत मोटा पुत्र गोगाजी के वारिसान
5/1 गोमाराम पुत्र मोटाजी, उम्र–62
5/2 कसाराम पुत्र मोटाजी, उम्र–59
5/3 पूनाराम पुत्र मोटाजी, उम्र–54
5/4 गजरो पुत्री मोटाजी, उम्र–49
जातिगण–मेघवाल, निवासीगण–किशनपुरा, तहसील–रानी, जिला–पाली, राजस्थान

6. केसाराम पुत्र गोगाजी के वारिसान
6/1 पानीदेवी पत्नी हीराजी, उम्र–52 वर्ष जाति–मेघवाल, निवासी–किशनपुरा, तहसील–रानी, जिला–पाली, राजस्थान

7. अचलाराम पुत्र पूराजी, उम्र–63
8. कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रानी
9. राजस्थान सरकार, भूमिधारी जरिये तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति–
1– प्रार्थीगण की ओर से– वकील दिनेश कुमार माली ।

निर्णय **दिनांकः– 24/12/2019**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी में वाद सख्या 38/2013 मे न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.06.2017 को खारीज कर वाद को पुनः न[illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:21 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि उक्त प[illegible]ल में प्रस्तुत हुई। जिस पर न्यायालय द्वारा [illegible] द्वारा दिनांक 08.12.2014 से प्रतिवादीगणों की तलबी के लिये न्यायालय ह[illegible] द्वारा प्रदत निर्देशो के अनुपालना

पेज लगातार 03 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मे पी/एफ सम्मन प्रस्तुत नही किये जाने पर आदेश 9 नियम 2 सीपीसी के अन्तर्गत वाद वादी खारीज किया गया था। जबकि दिनांक 27.06.2016 को सुनवाई में आने बाद दिनांक 31.01.2017 को पी.एफ पेश करने का वादीनी को समय दिया गया था। उसके बाद पत्रावली सीधे ही दिनांक 01.06.2017 को लोक अदालत केम्प नाडोल मे पेश हुई। उक्त पत्रावली में दिनांक 01.06.2017 को अनुपस्थित होने के बावजूद प्रार्थीनी का प्रतिरूपण कर फर्जी और कुटरचित अगुष्ठ निशान वादीनी का प्रतिवादी लालाराम की उपस्थिति में कराया गया जो प्रार्थीनी का अगुष्ठ निशान नही है तथा वादीनी का वाद विभाजन का है, वादग्रस्त भूमि को विभाजित कराये बिना ही प्रतिवादीगण विशेष भू–भाग पर निर्माण कर, प्रार्थीनी का रास्ता बन्द करने पर आमादा है। प्रतिवादी यदि अपने मकसद में सफल हो जाते है तो प्रार्थीनी को न्याय से वंचित होना पडेगा।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अतः प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्ता सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगया लोक अदालत केम्प 2016 के बाद बिमारी के कारण अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर पाई थी इसलिए पत्रावली पर पी.एफ सम्मन पेश नही कर सकी थी जो पर्याप्त और समुचित कारण है। प्रार्थीनी को सम्मन तलबाना पेश करने की हिदायत दिनांक 1.06.2017 को नही दी गई थी क्योकि प्रार्थीनी उपस्थित नही थी। प्रार्थीनी का प्रतिरूपण कर फर्जी और कुटरचित अगुष्ठ निशान वादीनी का करवाया गया है वह प्रार्थीनी का नही है तथा जिसका प्रमाण है कि प्रार्थीनी द्वारा वाद में समस्त दस्ताबेजो पर प्रार्थीनी के हस्ताक्षर है। जिससे न्यायहित में प्रार्थीनी का वाद पुनः बरामद कर नम्बर पर लिया जाना आववश्यक एवं न्याय संगत है।

हमने प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। मूल राजस्व वाद संख्या 38/2013 तथा निर्णय दिनांक 01.06.2017 का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मूल पत्रावली दिनांक 31.01.2017 को वकील वादी को पी.एफ व सम्मन पेश करने हेतु समय दिया गया था। उसके बाद पत्रावली दिनांक 01.06.2017 को लोक अदालत केम्प नाडोल में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट होता [illegible] प्रार्थीनी(वादीनी) द्वारा प्रस्तुत वाद पर हस्ताक्षर है। तथा वाद [illegible] होने से न्यायहित में प्रार्थीनी का वाद पुनः बरामद कर [illegible] आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:21 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर.....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमशः (4) राजस्व वाद मु०सं०– 58/2017 वादी – धीसीदेवी पत्नी मगारामजी बनाम प्रतिवादीगण – दाकूदेवी व अन्य अन्तर्गत धारा– 88,89,188, 92ए, 53 राजेस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। वाद संख्या 38/2013 के निर्णय दिनांक 01.06.2017 को अपास्त किया जाकर पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक– 24/12/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:21 IST
Reason: SelfAttested